

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकर
 वनाम _____
 २१/१०/२०१७
 २१/१०/२०१७

क्रमांक आदेश कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक दिवस
	<p>वादी ने यह वाद राज. सरकार को विरुद्ध पेश किया है एवं अन्वेषण भी राज्य सरकार ले पाया है, इसलिए वादी को धारा ४० CPC के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार को अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक था।</p> <p>ले पृथक् ले नोटिस वादी की ओर धारा ४०(२) CPC पेश नहीं किया है।</p> <p style="text-align: center;">अतः गुणावगुण पर विचार किए बिना यह वाद धारा ४० CPC के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">डिप्टी पंच जारी है।</p> <p>पतावली डी.एम. शुक्रर होकर १९ नम्बर लेकर है।</p>	

(२)
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकर (जयपुर)